HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए पत्नी पर जान से मारने की नियत से हमला करने वाले आरोपी पति को 10 वर्ष का साधारण कारावास व 9,500/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 22.05.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा पत्नी के साथ मारपीट करना तथा जान से मारने की नियत से हमला करने वाले आरोपी पति को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 19.06.2020 को अभियुक्त हंसराज उर्फ बिल्लू पुत्र भगवत प्रसाद निवासी मौहल्ला अम्बेडकर नगर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ द्वारा वादिया के साथ मारपीट करना तथा जान से मारने की नियत से हमला करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु0अ0सं0 216/2020 धारा 307, 323, 506 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 07.08.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 22.05.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा 10 वर्ष का साधारण कारावास व 9,500/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री गौरव नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री महाराज सिंह, पैरोकार म0का0 कुसुम व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 सचिन कुमार का विशेष योगदान रहा।